



*Journal of Advances and
Scholarly Researches in
Allied Education*

*Vol. VI, Issue XI, July - 2013,
ISSN 2230-7540*

REVIEW ARTICLE

भारतीय राजनीति व्यवस्था में दल बदल का
विकास

भारतीय राजनीति व्यवस्था में दल बदल का विकास

Kavita¹ Dr. Suman Bai²

¹Research Scholar, Singhania University, Pachari Bari, Jhunjhunu, Rajasthan

²Assistant Professor, PKSD College, Kanina (Mahendergarh)

भारत की स्वाधीनता की प्राप्ति के प्रथम आम चुनाव के बाद से ही कुछ राजनीतिक दलों के सदस्यों के स्वार्थ तथा पद लिप्सा के लिए अपना दल बदलते रहे हैं। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में जब जब नैतिक मूल्यों तथा राजनीतिक मर्यादाओं का अवमूल्यन हुआ है तब तब दल बदल की क्रिया पर अंकुष की आवाज मुखर हुई है।

भारत में दल बदल की घटनाएँ कोई ऐसी नयी बात नहीं हैं जो चतुर्थ आम चुनावों के बाद ही सामने आयी हो। 1947 के निर्वाचनों के पश्चात संयुक्त प्रान्त में मुख्यमंत्री गोविन्द वल्लभ पंत ने मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों को कांग्रेस में शामिल होने का प्रलोभन दिया और दल बदलुओं में से हाफिज मुहम्मद इब्राहीम को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। सन 1950 में उत्तर प्रदेश के 23 विधायकों ने दल बदल करके 'जन कांग्रेस' नाम एक नए दल की स्थापना की। 1958 में विधानसभा के 98 सदस्यों ने मुख्यमंत्री डा. सम्पूर्णानन्द में अविश्वास व्यक्त किया।

सन 1960 में केरल में कांग्रेस दल को सबसे ज्यादा स्थान मिले और उसने आर. शंकर के नेतृत्व में वहा मंत्रिमंडल बनाया। सितम्बर 1964 में 15 कांग्रेस सदस्यों ने कांग्रेस दल से संबंध विच्छेद कर लिया और मंत्रिमंडल का पतन हुआ। 1952 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का अस्थायित्व का कारण दल बदल ही रहा है। इसमें कई निर्दलीय सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गये थे।

अशोक मेहता को दल बदल के कारण योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद दिया गया। 1952 में कांग्रेस ने पंजाब में हुई अकाली विधायकों को प्रलोभन देकर और अपने दल में मिलाकर अपना मंत्रिमंडल बनाया। दल बदल के कारण इस मंत्रिमंडल का पतन हो गया। और अकाली नेता ज्ञानसिंह राडेवला ने दल बदलुओं की सहायता से मंत्रिमंडल बनाया। विधानसभा की बैठक बुलाये जाने की पूर्व संध्या को विरोधी दल के सदस्यों को प्रलोभन देकर अपनी ओर तोड़ कर मंत्रिमंडल का निर्माण किया।

चतुर्थ सामान्य निर्वाचनों के बाद 1967 में देश में एक साल में ही 438 विधायकों ने अपने दल बदल डाले। इन दल बदल करने वाले विधायकों में 115 को मंत्री पद देकर पुरस्कृत किया गया। इनमें से 7 मुख्यमंत्री और एक विधानसभा अध्यक्ष भी बनाये गये। बाद में तो यह सिलसिला और भी बढ़ता चला गया। 1967 से 1970 तक 4 साल की अवधि में दल बदल करने वाले सदस्यों की यह संख्या बढ़कर 1400 तक पहुँच गयी। लोकसभा के मध्यवर्ती निर्वाचनों के बाद दल बदलने का रिकार्ड ही टूट गया। पिछले 4 महीनों में 168 विधायकों ने विभिन्न राज्यों में अपने दल बदले हैं।

दल बदल की इतनी व्यापक और प्रभावी घटनाएँ संभवतः पहले कभी नहीं हुई थी दल बदल की राजनीति के प्रमुख अखाड़े हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब बिहार, प. बंगाल प्रमुख रहे हैं। इन चुनावों में करीब 3500 सदस्यों में से 550 सदस्यों ने अपने राजनैतिक आस्थाओं में परिवर्तन किया। तभी से यह क्रम निरन्तर जारी रहा है। आज भी दल बदल की घटनाएँ कम नहीं हुई हैं। कभी कभी तो एक दिन में दो या अधिक बार दल बदल किया। आयराम व गयाराम की उपलब्धियाँ भी प्राप्त हुई। दल बदल की यह बुराई वर्षोंसे हमें खोखला किये जा रही है। अनुमान के अनुसार 500 से अधिक दल बदलुओं को सत्ता की प्राप्ति हुई है। तथा करीब 30 से अधिक दल बदलुओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी का सुख भी प्राप्त हुआ है। यही नहीं दल बदल कर एकाधिक व्यक्तियों को प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी मिला है।

चतुर्थ आम चुनाव के बाद केवल दो वर्षोंमें 438 सदस्यों ने दल बदल किया। जिन सदस्यों ने दल बदल किया था उनको राज्य मंत्रिमंडलों में मंत्री पद से सुषोभित किया गया। राजस्थान में 14 प्रतिषत, उत्तरप्रदेश में 62 प्रतिषत, हरियाणा में 95 प्रतिषत, पंजाब, बिहार, प.बंगाल में 100 प्रतिषत में मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर अन्य सभी दलों ने अन्य सभी दलों ने दल बदल को खुले प्रोत्साहन दिया गया।सैद्धान्तिक रूप से सभी राजनैतिक पार्टियाँ दल बदल की विरोधी रही हैं।

केन्द्र स्तर पर बड़े पैमाने पर दल बदल की घटनाएँ नहीं हुई हैं। इसके साथ ही यह आषा की जाती थी कि जब तक केन्द्र में स्थिर सरकार है तब तक देश में राजनैतिक स्थिरता बनी रहेगी। सन 1967 में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से घूमा और भारतीय राजनीति में एक नया रूप दिखाई दिया। इस समय अनेक सदस्यों ने दल बदल किया। सबसे बड़े दल कांग्रेस में दल बदल की घटना सबसे ज्यादा रही।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के आर्चाय नरेन्द्र देव ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपना दल छोड़कर मंत्रिमंडल सदस्यता से त्याग पत्र देने का निर्णय किया तथा दुबारा चुनाव लड़े। दल बदल या दल त्याग के महत्वपूर्ण दृष्टांतों में सी.डी.देशमुख का नाम प्रमुख है। इन्होंने भाषायी राज्यों के गठन के पक्ष पर त्यागपत्र दिया।

अप्रैल सन 1977 में जनता पार्टी के महासचिव श्री सुरेन्द्र मोहन की घोषणा कि उनके दल के दरवाजे अन्य विधायकों व सांसदों के लिए खुले हुए हैं। हम उनका दल में स्वागत करते हैं। सन 1971 में जनता पार्टी में अनेक दल बदल हुए। इस पर श्री मोरारजी देसाई को विष होकर त्याग पत्र देना पड़ा।

सातवी लोकसभा के निर्वाचन के बाद लोकदल और जनता पार्टी के एक एक सदस्य कांग्रेस में आने लगे। अनेक राज्यों से भी सदस्य कांग्रेस में मिलने लगे। कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की पूरी की पूरी सरकारें ही कांग्रेस में सम्मिलित हुई।

कर्नाटक में मोयली टेप कांड से स्पष्ट हो गया कि हेगडे सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के द्वारा दल बदल का सुनियोजित षडयन्त्र रचा गया था।

चौथे आम चुनाव से पूर्व 25 वर्षों में 542 सदस्यों ने दल बदल किया, वहीं चौथे आम चुनाव के बाद वे केवल 2 वर्षों में 438 सदस्यों ने दलबदल किया। हरियाणा में कई विधायक ऐसे थे जिन्होंने अनेक बार दल बदल किया।

हरियाणा के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि मंत्रिमंडल में रिश्तखोरी राजनैतिक बदला लेने की भावना, भ्रष्टाचार और पदों के वितरण की आम शिकायतें थी। इसके साथ ही विरोधी पक्ष का रिकार्ड भी अच्छा नहीं था। दोनों ओर से ये आरोप लगाये जा रहे थे कि वह पैसा तथा मंत्रिमंडल मंत्री पद का लालच देकर दल बदल करवा रहे हैं। राज्यपाल की स्पष्टता रिपोर्ट थी कि दल बदल किन्हीं प्रतिष्ठित या समानजनक आधारों के माध्यम से नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी दल बदल के लिए 1 मंत्री पद का लालच व धन का दुरुपयोग किया जा रहा था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पद ग्रहण से कुछ समय पूर्व दल बदल की अधिक घटनाएँ हुईं।

मार्च 1971 में पांचवीं लोकसभा के चुनाव में मार्च 1972 में राज्य विधानसभाओं के चुनावों में कांग्रेस के विजय ने यह आशा लगायी थी कि दल बदल की बुराई समाप्त कर दी जायेगी और राज्यों में स्थिर सरकार बनेगी। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। फरवरी सन 1973 के तिसरे सप्ताह में 15 विधायक दल बदल कर कांग्रेस में शामिल हो गये। 9 जुलाई 1974 को मणिपुर के छोटे से राज्य में दल बदल के परिणामस्वरूप मंत्रिमंडल का पतन हो गया। मार्च 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा के कतिपय कांग्रेस सदस्य जनता पार्टी में शामिल हो गये और जुलाई 1979 में जनता पार्टी में भी भारी दल बदल हुआ और मोरारजी देसाई को विष होकर त्याग पत्र देना पड़ा। सातवी लोकसभा के निर्वाचनों के बाद जनता पार्टी और लोकदल के विधायक एक के बाद एक कांग्रेस में शामिल होने लगे। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और कर्नाटक में भारी दल बदल के कारण जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार अपना लेबल बदल कर कांग्रेस (आई) सरकारें बन गयीं। दल बदल के कारण ही केरल की करुणाकरण सरकार का मार्च 1982 में पतन हुआ। मई 1982 के चुनाव के बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के गठन में दल बदल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कर्नाटक में दल बदल के कारण जनता पार्टी की संख्या बल बढ़ता गया, किन्तु दूसरी तरफ कर्नाटक हेगडे सरकार को गिराने के लिए इन्दिरा कांग्रेस ने क्या और कैसे प्रपंच रचे। तथा विधायकों की खरीद का व्यापार किया। इसका भांडाफोड़ कर्नाटक विधानसभा में जनता पार्टी के सहयोगी सदस्य सी.बी. गोडा ने किया।

देश भर में भारी संख्या में कांग्रेसियों के द्वारा पार्टी छोड़कर दल बदल किया गया। कांग्रेसियों के दल बदल के साथ ही विपक्षी दलों से लोग अपने दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि दल बदल के संबंध में कोई निश्चित नियम अथवा व्यवस्था नहीं थी। 1967 के चुनाव के पश्चात एक सामान्य प्रक्रिया बन गयी थी। दल के अधिकृत प्रत्याषियों को भारी निराशा हुई और उसके समर्थकों द्वारा अधिकृत प्रत्याषियों के विरुद्ध कार्य किया। राज्य में

विधायकों द्वारा दल बदल के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के तख्ते पलटे। कांग्रेस से दल बदल वालों ने नये मंत्री मण्डलों में अधिकांश मंत्री पद प्राप्त किये। दल बदलने वाले नेताओं ने हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, प. बंगाल एवं मणिपुर में मुख्यमंत्री पद संभाले।

नवम्बर 1990 में केन्द्र में भी श्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार का अपहरण कर स्वयं प्रधानमंत्री पद हथियाने के लिए उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद चन्द्रशेखर ने भी अपने समर्थक सांसदों के साथ, अपनी पार्टी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी को समर्थन से अपनी सरकार बनायी थी। किन्तु विपक्षी पार्टी की बैसाखी पर निर्भर इनकी सरकार महज 7 माह में ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लेने के बाद सत्ता से हाथ धो बैठी और लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराने पड़े।

दल बदल कानून निर्माण के पश्चात भी राज्यों नागालैण्ड (1988) मिजोरम (1988) कर्नाटक (189) गोवा (1990) मेघालय (1991) मणिपुर (1992) नागालैण्ड (1992) और मणिपुर (2001) में दल बदल होता रहा है। परन्तु केन्द्र में भी नवम्बर 1990 में केन्द्र में वी.पी. सिंह सरकार के पतन के पश्चात जिस तरह चन्द्रशेखर के नेतृत्व में हुए सांसदों के एक गुट ने दल बदल करते हुए समाजवादी जनता पार्टी के रूप में विपक्षी कांग्रेस के समर्थन से केन्द्र में दल बदल के जरिये नई सरकार बनाई, वह निष्चय ही भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की एक अपूर्व एवं निराली घटना थी।

दसवीं लोकसभा चुनाव और ग्यारहवीं लोकसभा चुनाव के बाद भी दल बदल की स्थितियाँ वही रही। बारहवीं लोकसभा चुनाव के बाद संसद में दल बदल की स्थिति तो लगभग नहीं बनी, लेकिन अन्नाद्रमुक ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेकर उसे गिरा दिया।

वर्तमान में यह अब गठबन्धन की राजनीति से जुड़ गया है। चुनाव के बाद गठबन्धन बदल लेने की स्थिति भी वस्तुतः दल बदल ही है।

संदर्भ

1. डॉ. सुभाष कश्यप: दल-बदल व राज्यों की राजनीति, पृष्ठ 15
2. डॉ. सुभाष कश्यप: उपर्युक्त पृष्ठ 16
3. भालचंद गोस्वामी: दल-बदल कानून, 1985, दशा और दिशा, 1985
4. भालचंद गोस्वामी: उपर्युक्त पृष्ठ 10
5. डॉ. पुखराज जैन एवं फडिया: भारतीय शासन एवं राजनीति, पृष्ठ 684
6. डॉ. पुखराज जैन एवं फडिया: उपर्युक्त, पृष्ठ 178
7. डॉ. सुभाष कश्यप: पूर्वोक्त पृष्ठ 18
8. प्रकाशवीर शास्त्री: भारतीय राजनीति और राजनीतिक दल, समस्या एवं सम्भावनाएँ, पृष्ठ 107

9. गांधीजी राय: भारतीय शासन प्रणाली भारतीय भवन,
पटना, पृष्ठ 396
10. प्रकाशवीर शास्त्री: पूर्वोक्त, 109–110
11. डॉ. सुभाष कश्यप: पूर्वोक्त, 30
12. डॉ. सुभाष कश्यप: पूर्वोक्त, 21, 22
13. भालचंद गोस्वामी: पूर्वोक्त, 17, 18
14. प्रकाशवीर शास्त्री: पूर्वोक्त, 105, 106
15. हरिशचंद्र शर्मा: भारत में राज्यों की राजनीति, पृष्ठ
296–297
16. रजनी कोठारी: भारत में राजनीति पृष्ठ 130
17. गांधीजी राय: पूर्वोक्त पृष्ठ 397
18. रजनी कोठारी: पूर्वोक्त 227
19. डॉ. जय नारायण पाण्डेय: भारत का संविधान, पृष्ठ
698–699